



24-4-18

राज्य सरकार के आदेशानुसार राजस्व लोक अदालत में लगे हेतु प्रकृत जवाब नम्बर पर लिया गया। इस हेतु पक्षकारान को नोटिस जारी हो। निम्न कैम्प अतीतिप्रथम में दिनांक 10-5-18 को पेश हो।

पीयूष समारिया  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

10-5-18

पक्षकारान उप./अनु./वकील प्रार्थी/अप्रार्थी उप./अनु./ पत्रावली लोक अदालत में पेश हुई। पक्षकारान को समझाईश की गई, परन्तु राखीनामा नहीं हुआ। अतः पत्रावली संबंधित न्यायालय में वापस लौटाई जाकर दिनांक 18/5/18 को पेश हो।

पीयूष समारिया  
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

18-7-18 वकील वारीगण एवं स्वयं वारीगण अनुपस्थित। वकील वारीगण एवं स्वयं वारीगण को एक-एक कर कई बार बजाये जागवाई गई, परन्तु कोई जालिर नहीं आए। अतः जज्जल अदम हाजरी एवं अदम पैरवी के खरिज लिखा जाना है। मिसल फैसल सुमार डीकर नम्बर से कस हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलक्टर, ब्यावर

राज्य सरकार  
उपखण्ड कलक्टर एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर

राज्य सरकार  
उपखण्ड कलक्टर एवं सहायक कलक्टर  
ब्यावर